10.08.2021

GCMS
2021/478

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली में बहस उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कथन किया की राजस्व ग्राम टोडा के भूमि खाता संख्या 19 जमाबन्दी सम्वत 2057–60 की खातेदारी उमराव, शिम्भु, गोदा, मूना पुत्र नानगा हिस्सा 4/5 व रेवा बेवा फूला हिस्सा 1/5 दर्ज थी। नामान्तरकरण संख्या 836 विरासत दिनांक 20.12.2001 द्वारा पूरण पिता मूना उर्फ मोहनलाल व सुभद्रा पुत्री मूना उर्फ मोहनलाल हिस्सा 1/5 शेष खाता बदस्तुर स्वीकार हुआ। नामान्तकरण संख्या 940 दिनांक 20.07.2005 बेचान द्वारा पूरण पुत्र मूना उर्फ मोहनलाल व सुभद्रा पुत्री मूना उर्फ मोहनलाल के स्थान पर सविता पत्नी सांवतराम जाति गुर्जर हिस्सा 1/5 शेष खाता बदस्तुर दर्ज हुआ। नामान्तरकरण संख्या 1024 दिनांक 05.11.2007 बेचान द्वारा सविता पत्नी सांवतराम हिस्सा 1/5 व गोदा पुत्र नानगा हिस्सा 1/5 के स्थान पर हनुमान प्रसाद पुत्र अमीलाल हिस्सा 1/5 व ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/5 स्वीकार हुआ शेष खाता बदस्तुर रहा। नामान्तरकरण संख्या 1398 द्वारा हनुमान प्रसाद पुत्र अमीलाल हिस्सा 1/5 व ओमप्रकाश पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/5 के स्थान पर टोडा माईन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर स्वीकार हुआ परन्तु वर्तमान कम्प्यूटराईज जमाबन्दी 2075–78 में वादी फर्म का नाम अमल–दरामद से रह गया एवं उसके स्थान पर सहवन से सुभद्रा पुत्री मूना हिस्सा 1/10, सविता पत्नी सांवतराम हिस्सा 1/10 एवं गोदा पुत्र नानगा हिस्सा 1/5 दर्ज चला आ रहा हैं जिसे दुरूस्त कर खातेदारी वादी फर्म के नाम दुरूस्त की जावें। राजकीय पैरोकार तहसीलदार नीमकाथाना (प्रतिवादी) ने वकील वादी के तथ्यों को स्वीकार कर वादी को अनुतोष देने की सहमति प्रकट की। वकील वादी ने वादपत्र के समर्थन में विवादित आराजी की जमाबन्दी सम्वत 2057–60 व 2075–78 तथा राजस्व ग्राम टोडा के नामान्तरकरण संख्या 836, 940, 1024, 1088, 1397 व 1398 की प्रतियां, बेचान पत्र दिनांक 24.01.2011 व 25.01. 2011 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनसे वाद पत्र में अंकित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष पर ध्यानपूर्वक मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी राजस्व ग्राम टोडा भूमि खाता संख्या 281 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 1024 व 1398 के अनुसार अंकन नहीं हैं तथा वादी फर्म का नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं हैं। अतः वादपत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

दावा
213
2021

GCAM-2021/478

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं। राजस्व ग्राम टोडा भूमि खाता संख्या 281 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में वादी फर्म टोडा माईन्स एण्ड मिनरल्स को हिस्सा 2/5 का खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम टोडा भूमि खाता संख्या 281 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में **गोदा पुत्र नानगा हिस्सा 1/5, सुभद्रा पुत्री मून्ना हिस्सा 1/10 व सविता पत्नी सांवतराम हिस्सा 1/10** का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी फर्म **टोडा माईन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर हिस्सा 2/5** दर्ज किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

व इजलास बृजेश कुमार (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

मैसर्स टोडा माईन्स एण्ड मिनरल्स **बनाम** भूमिधारी

...........वादी........ ..प्रतिवादी........

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 213 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू बृजेश कुमार (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना। व हाजरी श्री उमेश खण्डेलवाल एडवोकेट– वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी––– मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व **दावा वादी डिकी किया जाता है तथा राजस्व ग्राम टोडा भूमि खाता सं. 281 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में वादी फर्म टोडा माईन्स एण्ड मिनरल्स को हिस्सा 2/5 का खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम टोडा भूमि खाता संख्या 281 जमाबन्दी सम्वत 2075–78 में गोदा पुत्र नानगा हिस्सा 1/5 सुभद्रा पुत्री मून्ना हिस्सा 1/10 व सविता पत्नी [illegible]तराम हिस्सा 1/10 का नाम हजफ किया जाकर इनके स्थान पर वादी फर्म टोडा माईन्स एण्ड मिनरल्स जरिये पार्टनर हिस्सा 2/5 दर्ज हो। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

निज................×........................मुबलिग....................×.........................बाबत.................×......................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह.......................×.....................................फीसदी सलाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक......................×.............................को अदा करें।बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 08 सन् 2021 को जारी की गई।

मुहर

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

दस्तखत
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना।

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।